

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना
वापसी अधिसूचना

संख्या- 14/डी.एम्.ए.र-भू-अ/घिवह-01/08- 1148 /रा0 पटना दिनांक-25-04-13

चूंकि बिहार सरकार को यह आदेश हुआ है कि ग्राम महुअरिया, थाना नं0-154 राजस्व थाना-शिवहर, पपरगना- शिवहर अंचल-शिवहर थाना-शिवहर, जिला-शिवहर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् व्यवहार न्यायालय आवासीय परिसर निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर 5.53 एकड़ सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित नहीं है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम-महुअरिया के अंदर 5.53 एकड़ भूमि अपेक्षित नहीं है, जो मानक माप के कमोवेश बी0/क0/धूर है, जो 5.53 एकड़ के बराबर होता है, जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित है, को भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48(1) के तहत अर्जन से विमुक्त किया जाता है।
थाना नं0 154 महुअरिया खेसरा सं0 12 पूर्ण, 13 पूर्ण, 14 अंश 15 पूर्ण एवं 19 अंश।

थाना नं0-154 महुअरिया का चौहद्दी निम्न प्रकार है।

उत्तर खेसरा नं0 -11 वगैरह
दक्षिण-खेसरा नं0-19, 14 अंश
पूरब-खेसरा नं0-2,9,12 अंश
पश्चिम-खेसरा नं0-सीमान शिवहर

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 (बिहार अधिनियम-2 1961 द्वारा मात्रा संशोधित) की धारा 48 (1) के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्सा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, शिवहर के कार्यालय में देखा जा सकता है और चूंकि बिहार राज्यपाल का राय है कि कुल 5.53 एकड़ भूमि कृषि-योग्य है तथा अर्जन आवश्यक नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

— १० —

सरकार के सचिव,

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
शिवहर।

अपर समाहर्ता
शिवहर।

समाहर्ता
शिवहर।

ज्ञापक:- / डी0एल0एस0, शिवहर/म0, 1148/रा0 दिनांक: 25-04-13

प्रतिलिपि:-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियाँ रसी0डी0 के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिसमें ऐ स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ। इसकी प्रकाशित प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, शिवहर को उपलब्ध उपलब्ध कराया जाय।

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट, शिवहर की अधिसूचना की हो प्रतियाँ सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को 10 (दस) अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, शिवहर को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-समाहर्ता, शिवहर/अपर समाहर्ता, शिवहर/ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

— १० —

सरकार के सचिव,

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
शिवहर।

अपर समाहर्ता
शिवहर।

समाहर्ता
शिवहर।